न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद, स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 868/1996
विद्यावती बनाम सीताराम

11.09.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 57ग2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 57ग2 वादिनी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि दिनांक 16.08.2010 को वादी के साक्ष्य की तारीख थी। पुकार होने पर हम वादिनी अपने अधिवक्ता को बुलाने चली गयी। अधिवक्ता महोदय को न्यायालय पहुंचने में कुछ देरी हो गयी। इसी बीच मुकदमा में पुनः पुकार होकर प्रार्थिनी के साक्ष्य का अवसर समाप्त हो गया, जिससे हम वादिनी की सख्त हकतल्फी और नुकसान है। ऐसी दशा में आदेश दिनांकित 16.08.2010 को रिकाल किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा आपत्ति कागज सं0 68ग2 दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि मुकदमे में दिनांक 21.05.2009 से साक्ष्य हेतु तारीख लग रही है, लेकिन वादी हर तारीख पर साक्ष्य न देकर अवसर लिए हैं। वादिनी कभी भी मुकदमे में नहीं आती है और न पैरवी करती है। उक्त दिनांक को भी वादिनी नहीं आयी थी। सारे कथन प्रार्थनापत्र, असत्य हैं। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 16.08.2010 द्वारा वादी के साक्ष्य का अवसर समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया। विधि की सदैव यह मंशा है कि वाद का निस्तारण पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुण–दोष के आधार पर किया जाए। जहां तक प्रतिवादी द्वारा उठाई गयी आपत्ति का प्रश्न है, उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 57ग2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 57ग2 मु0 100/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। न्यायालय का आदेश दिनांकित 16.08.2010 अपास्त किया जाता है। वादी को निर्देशित किया जाता है कि साक्ष्य की कार्यवाही हेतु नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 23.10.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती